

आदेश की
क्रम सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ

22/11/20

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 12/2019-2020

(भूदान पत्र-दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता श्री रामानंद सिंह, पिता-छेदी सिंह, ग्राम-प्यारे चक, थाना+अंचल+जिला-अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्टि हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान-यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान-यज्ञ-दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
60	254	04 डी०	उत्तर-रामलाल सिंह दक्षिण-रघुनन्दन सिंह पूरब-नीज पश्चिम-यदुनन्दन सिंह


मौजा-प्यारेचक, थाना+अंचल+जिला-अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा तामिला प्रतिवेदन पर अंकित किया है कि सत्येन्द्र कुमार ने नोटिस लेने से इंकार किया जिसका गवाही राम एकवाल सिंह और साहेब दयाल सिंह है। दाता के तरफ से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

भूदान-दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ-दान पत्र के माध्यम से दाता द्वारा वर्णित भूमि दान में दिनांक 07.03.1953 में दिया गया है। दान पत्र पर दाता का हस्ताक्षर अंकित है। अंचल अधिकारी, अरवल ने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि भूमि का किस्म भीठ है। महेन्द्र कुमार और सत्येन्द्र कुमार दोनों पिता स्व० रामानंद सिंह के दखल कब्जा में है जो दाता के पुत्र है।

अतः भूदान यज्ञ-दान पत्र में वर्णित भूमि बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 11 के आलोक में खाता संख्या-60, खेसरा संख्या-254, रकवा-04 डी० भूमि की संपुष्टि अंचल अधिकारी, करपी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद-सह-अरवल को भेजे।

लेखांकित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।